भारत सरकार

कार्यालय : आयकर आयुक्त– 1, पटना

दिनांक 27/11/2007

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत आदेश

संस्था का नाम एवं पताः– संकल्प ज्योति
अशोक नगर रोड नं.1
कंकड़बाग, पटना-20

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए (1) उपधारा (बी) में निहित शक्तियों के तहत उपरोक्त संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उदेश्यों के लिए दिनांक 01.04.2007 से पंजीकृत किया जाता है । पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्याय संगत होगा ।

(i) संस्था/न्यास अपनी आय को पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजन में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहां उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का पन्द्रह प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी ।

(ii) संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट स्वरूप और पद्वति के अनुसार रखेगी ।

(iii) यह आदेश व्यापार से उवृभूत किसी लाभ पर लागू नहीं होगा । यह सिवाय उन परिस्थितियों को छोडकर जबकि व्यापार संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं उस व्यापार की लेख बहियाँ अलग से रखी जाएं ।

(iv) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी ।

(v) संस्था/न्यास अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी ।

(vi) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में विर्दिष्ट

Secretary
Sankalp Jyoti Patna

व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी ।

(vii) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था/न्यास के कियाकलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है अथवा संस्था/न्यास के क्रियाकलाप प्रामाणिक नहीं रहे तो आयकर अधिनियम की धारा 12एए (3) के अंतर्गत उक्त पंजीकरण रद्द किया जा सकता है ।

पंजीकरण संख्या ....51..../2007-08

ह०
एस.के.झा
(...............)
आयकर आयुक्त- 1, पटना

फा0 सं0 आ.आ.-1/पटना/त.क/12A/07-08/1740-43 दिनांक 27/11/2007

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव/अध्यक्ष संकल्प ज्योति, पटना
2. मुख्य आयकर आयुक्त, पटना
3. सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-1 पटना
4. संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-1 पटना को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास का धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक करमुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है । संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुँचना है कि संस्था/न्यास करमुक्ति के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं । उक्त दृष्टिकोण माननीय अपीलय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी माँ ज्योति प्रभा सोसायटी (आई0टी0ए02766/DEL/02) तथा विभन्न मार्केटिंग समितियों के वाद में पारित आदेश में लिया गया गया है । यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो उसे करमुक्ति देय नहीं होगी तथा धारा 12एए (3) के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी ।

बी.एन. सिंह
(...............)
आयकर अधिकारी (मु0/तक0)
कृते : आयकर आयुक्त- 1, पटना

Secretary
Sankalp Jyoti Patna